भारत सरकार

पेट्रोलियम तथा विस्फोटक सुरक्षा संगठन

(पूर्व नाम - विस्फोटक विभाग)

'ए' ब्लॉक, पांचवा तल, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,

सेमिनरी हिल्स, नागपुर - 440 006 (महा.)

सत्यमेव जयते

नागपुर, दिनांकः 3 दिसंबर, 2013

सार्वजनिक सूचना

सभी संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 553 (ई) दिनांक 11 जुलाई 2012 द्वारा अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 को अधिसूचित किया है। इससे आगे भारत सरकार ने अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 469 (ई) दिनांक 9 जुलाई 2013 द्वारा अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 के नियम 5 और 12 के कुछ उपबंधों में संशोधन किया है।

अमोनियम नाइट्रेट नियम, 2012 के नियम 5 के परन्तुक के अनुसार "सभी विद्यमान विनिर्माता, संपरिवर्तक, परिवाहक, नौभारिक, उपयोक्ता/विक्रेता, आयातक और निर्यातक छह माह के भीतर अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवेदन करेंगे और इन नियमों के प्रकाशन की तारीख से अठारह माह की अवधि के भीतर इन नियमों के उपबंधो का अनुपालन करेंगे"।

दिनांक 10 जनवरी 2014 के बाद वैध अनुज्ञप्ति के बिना विनिर्माण संपरिवर्तन, परिवहन, नौभरण, उपयोग/बिक्री, आयात और निर्यात हेतु अमोनियम नाइट्रेट का कब्जा, अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 का उल्लंघन माना जाएगा और विस्फोटक अधिनियम, 1884 के तहत दंडनीय होगा।

अतः उपरोक्त सभी संबंधित को सूचित किया जाता हैं कि वह अमोनियम नाइट्रेट नियम 2012 की अनुसूची I में निर्दिष्ट अनुज्ञापन प्राधिकारी से निर्धारित अवधि के भीतर अनुज्ञप्ति प्राप्त कर लें।

इस संदर्भ में पूछताछ हेतु आप **explosives@explosives.gov.in** पर ई–मेल भेजे या हमारी वेबसाइट **www.peso.gov.in** देखें।

—हस्ताक्षर—

मुख्य विस्फोटक नियंत्रक

GOVERNMENT OF INDIA

PETROLEUM AND EXPLOSIVES SAFETY ORGANISATION

(Formerly - Department of Explosives)

'A' Block, 5th Floor, CGO Complex, Seminary Hills, Nagpur - 440 006.

Nagpur, dated 3rd December,2013

PUBLIC NOTICE

It is brought to the notice of all concerned that Government of India, Ministry of Commerce and Industry (Department of Industrial Policy and Promotion), has notified the Ammonium Nitrate Rules 2012 vide Notification No. GSR 553 (E) dated 11th July 2012. Further Government of India has amended certain provisions of Rules 5 and 12 of Ammonium Nitrate Rules 2012 vide Notification No. GSR 469 (E) dated 09.07.13.

As per proviso of rule 5 of the Ammonium Nitrate Rules 2012 "all the existing manufacturers, converters, transporters, stevedores, possessors for sale/use, importers and exporters shall apply for licence within six months and shall comply with the provisions of these rules within a period of eighteen months from the date of publication of these rules".

Manufacture, conversion, transport, stevedoring, possess for sale/use, import and export of Ammonium Nitrate without a valid licence after **10th January 2014** will constitute violation of Ammonium Nitrate Rules 2012 and will attract penal action under Explosives Act 1884.

Hence all concerned as above are advised to obtain licence within the specified period from the authority empowered to grant licence as specified under Schedule I of Ammonium Nitrate Rules 2012.

Any queries may be sent by email at **explosives@explosives.gov.in** or our website **www.peso.gov.in** may be visited.

Sd/-

Chief Controller of Explosives